

आज

बेबाक

देश के करोड़ों मोबाइल धारकों को हर काल के दौरान कोरोना से बचने के लिए अभिताभ बच्चन के उबाऊ बोलवचन के बावजूद भारत में कोरोना करोड़पति बन गया। किसी भी नसीहत की अति करने से यही होता है कि लोग उसे एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक साल के भीतर जीजा से फूफा बन गए कोरोना की लोगों ने परवाह करना छोड़ दिया है। अब शायद वह मुंह फुलाकर नदारद हो जाएं। वैसे अब वैक्सीन आ रही है किन्तु उसके सब तक पहुंचने में वक लगेगा इसलिए जबतक दवाई नहीं तब तक ढिलाई न

खास- खबर

12 साल बाद इस वर्ष विराट के बल्ले से नहीं निकला शतक



नई दिल्ली। भारतीय कप्तान और रन मशीन विराट कोहली के शानदार करियर में 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी प्रारूप में कोई शतक नहीं निकला। विराट ऑस्ट्रेलिया दौरे में चार टेस्टों की सीरीज का पहला टेस्ट खेलने के बाद मंगलवार को एडिलेड से स्वदेश के लिए रवाना हो गए। (विस्तृत पेज 5 पर)

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित

नई दिल्ली। उद्योग एवं अंदरूनी व्यापार संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के लिए आमंत्रित किये हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि 15 उद्योग क्षेत्रों में 49 पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। प्रमुख क्षेत्र कृषि, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा एवं कौशल विकास, ऊर्जा, उद्यमिता प्रणाली, पर्यावरण, वित्त प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं देखभाल, उद्योग 4.0, सुरक्षा, अंतरिक्ष, परिवहन और पर्यटन हैं। इसके अलावा छह विशेष पुरस्कार शिक्षा संस्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, आयात पर निर्भरता खत्म करने वाले, कोविड-19 से निपटने के लिए और भाषायी क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को प्रदान किये जाएंगे। इसके लिए आवेदन 31 जनवरी 2021 तक भेजे जा सकते हैं। पुरस्कार के रूप में प्रत्येक विजेता को पांच लाख रुपए नकद प्रदान किये जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी के विजेता और दो अन्य अन्य को अपनी उपलब्धि प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी।

शोध

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किया विकसित

किसानों के लिए मटर की रोग प्रतिरोधी किस्म विकसित

हिसार/ए॥ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष दाना मटर की नई रोग प्रतिरोधी किस्म एचएफपी-1428 विकसित कर एक और उपलब्धि विश्वविद्यालय के नाम की है। दाना मटर की इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की 'फलस मानक, अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप-समिति, द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अधिसूचित व जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कृषि वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में भी निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों



द्वारा दाना मटर की अपना, जयंती, उत्तरा, एच.एफ.पी.-9426, हरियल, एच.एफ.पी.-529 व एच.एफ.पी.-715 किस्में विकसित की जा चुकी हैं। दाना मटर की एच.एफ.पी.-1428 किस्म को भारत के उत्तर-पश्चिम मैदानी इलाकों के सिंचित क्षेत्रों में काश्त के लिए अनुमोदित किया गया है जिसमे जम्मू और कश्मीर के मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य शामिल हैं।

नहीं गिरती फलियां

इसके पौधे सीधे बढ़ने वाले होते हैं इसलिए फलियां लगने के बाद गिरते नहीं हैं, जिससे इसकी उत्पादकता नहीं घटती एवं कटाई भी आसान हो जाती है। इस किस्म की एक और खाशियत यह है की इसकी जड़ों में नत्रजन स्थापित करने वाली गाँठें और नाइट्रोजीनेस गतिविधि बहुत अधिक होती है जिसके कारण इसकी पर्यावरण से नत्रजन स्थापित करने की क्षमता अत्यधिक है जो इसके बाद ली जाने वाली फसलों के लिए

123 दिन में होती है पककर तैयार

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहस्रवत ने बताया कि रबी में सिंचित क्षेत्रों में काश्त की जाने वाली मटर की इस किस्म की खासियत यह है कि इसकी फसल कम अवधि (लगभग 123 दिन) में पककर तैयार हो जाती है। यह हरे पत्रक एवं सफेद फूलों वाली बैनी किस्म है व इसके दाने पीले-सफेद (क्रौम) रंग के मध्यम आकार व थोड़ी झुर्रियाँ एवं हल्के बेतानकाए होते हैं।

26-28 फिटल प्रति हेक्टेयर उपज

इसकी औसत पैदावार 26-28 फिटल प्रति हेक्टेयर एवं अधिकतम पैदावार 40 फिटल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है।यह किस्म सफेद चूर्णी, एस्कोकायट ब्लाइट व जड़ गलन जैसे रोगों की प्रतिरोधी है एवं इसमें तटुआ का प्रकोप भी कम होता है। इसके अतिरिक्त दाना मटर की इस किस्म में एफ़िक जैसे रस चुसक कीट एवं पत्नी छेदक कीटों का प्रभाव भी पहले वाली किस्मों की तुलना में बहुत कम होगा।

श्रद्धांजलि



भोपाल (नवप्रदेश)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी।

किसानों ने दूसरे दिन भी किया क्रमिक अनशन

नई दिल्ली। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के निकट मंगलवार को दूसरे दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। किसान संगठनों ने राजधानी के धरना स्थलों पर अनशन शुरू किया है जो लगातार जारी रहेगा। अनशन 11 किसान नेताओं ने शुरू किया था। अनशन में हर दिन अलग-अलग किसान नेता हिस्सा लेंगे। किसानों के आंदोलन का



आज 27वां दिन है। किसान संगठनों के कल किसान दिवस के अवसर पर लोगों से दोपहर का भोजन नहीं करने की अपील की गयी है।

शेष पृष्ठ 7 पर

खाप पंचायत करने के आरोप में धाकड़ समाज के नौ पंच गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने गत वर्ष खाप पंचायत कर दो व्यक्तियों को अपमानित करने एवं समाज में हक्का पानी बंद करने के आरोप में धाकड़ समाज के नौ पटेलों को गिरफ्तार किया। प्रार्थी चित्तौड़ीखेड़ा की नई आबादी निवासी कमलेश धाकड़ एवं किशनलाल धाकड़ ने गत 13 दिसम्बर को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि किशनलाल के भाई राकेश को गांव की ही मांगीबाई धाकड़ ने गोद ले रखा था और गत वर्ष मांगीबाई के परिवार में हुई एक मौत के हुए मौसर के उसने मांगीबाई से पैसे मागे तो उसने इंकार कर दिया। इस पर दोनों ने दिसम्बर 2019 को समाज के पटेलों की पंचायत बुलाई जिसमें मांगीबाई ने विवाद करते हुए उन्हें अपमानित किया वहीं पटेलों ने भी मांगीबाई का साथ देते हुए दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना किया।

कोविड उल्लंघन पर रैना को लिया हिरासत में, रिहा

मुंबई। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना को मुंबई हवाई अड्डे के पास कोरोना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले हिरासत में लिया गया लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। पुलिस ने मुंबई के एक क्लब में छापा मारा जहां कोरोना के उल्लंघन के आरोप में रैना और गायक गुरु रंधावा सहित 34 लोगों को हिरासत में लिया गया। साहर पुलिस थाना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड

नियमों के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में रैना और रंधावा भी शामिल हैं। हालांकि आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि रैना सहित 34 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 के तहत और महामारी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी ड्रैगनफ्लाई पब से हुई जहां कोरोना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।

महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू

उल्लेखनीय है कि सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना का प्रभाव रोकने के लिए रात को कर्फ्यू लागाने का फैसला किया था। इन साल को देखते हुए राज्य सरकार ने मुंबई में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक कई प्रतिबंध लगाए हैं। रैना ने इस साल 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। रैना को सैयद मुश्ताक अली टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिये सोमवार को उत्तर प्रदेश टीम के संभावित 26 सदस्यों में शामिल किया गया

जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव पहली बार घाटी में खिला कमल

श्रीनगर/ए॥ जम्मू-कश्मीर के जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के शुरुआती रुझान में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बना गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन (पीएनडी) भाजपा से आगे दिखा। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है तो दूसरी तरफ पहली बार कश्मीर घाटी में कुछ सीटों पर कमल खिलता दिख रहा है। वादी में बीजेपी दो सीटें जीत चुकी है। श्रीनगर के बलहामा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार एजाज हुसैन

ने जीत दर्ज की है। कश्मीर के तुलैल सीट और पुलवामा में भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, हालांकि अभी इनकी जीत के बाद बना गुपकर घोषणा पत्र की जांच हो रही है। कुछ सीटों पर बीजेपी बहत बनाए हुए हैं तो अन्य कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को मिले वोट उत्साहजनक हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हुए चुनाव में बीजेपी को मिली इस सफलता को काफी अहम माना जा रहा है।

शेष पृष्ठ 7 पर

भू-अर्जन की पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया है कि भू-अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापन के मामलों में विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन के लिये यदि ग्रामों में आंकलित आकार की शासकीय भूमि उपलब्ध है तो ऐसी शासकीय भूमि के लिये सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि अपेक्षक निकाय से लेकर, उक्त भूमि पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसरण में पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की जायेगी। जहां अपेक्षक निकाय परिणामस्वरूप विस्थापन के मामलों में विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन के लिये यदि शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है तो ग्रामों में स्थित निजी भूमियां उक्त अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश के पक्ष में अर्जित व पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिये प्राप्त की जायेंगी। इसमें भू-अर्जन की अवाई की राशि का भुगतान संबंधित अपेक्षक निकाय से प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार तैयार योजना के क्रियान्वयन के लिये ऐसी चिन्हांकित भूमि पर उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची अनुसार अवसरंचना के निर्माण के लिये (भूमि) अपेक्षक निकाय को योजना के क्रियान्वयन हेतु युक्तियुक्त समय के लिये अधिपत्य में दी जायेगी। ताकि अपेक्षक निकाय नियत अवधि में अवसरंचना निर्माण कर योजना के अनुसार भूखंड या मकान तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (उक्त अधिनियम की अनुसूची 3 में उल्लिखित समस्त मदों के लिये) तैयार कर कलेक्टर को वापिस अधिपत्य सौंपे।

राज्य सरकार से तथा निजी भूमि पर विभागीय मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्वीकृत कर सकेंगे। निजी भूमि अथवा ई-निविदा से अनुसूची 5 के स्वीकृत उत्खनन पट्टों में 25 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक निवेश कर उद्योग स्थापित करने पर उत्खनन पट्टे का 10-10 वर्ष के लिये दो बार नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुसूची 1 और 2 के खनिजों के 4 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के उत्खनन पट्टे कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसमें 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र स्वीकृत करने के अधिकार संचालक को दिये जा रहे हैं। अनुसूची एक के खनिजों के मामलों में स्वीकृत से पहले संचालक द्वारा विभागीय मंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अनुसूची एक में पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिक क्रिया द्वारा) को शामिल किया जा रहा है। इससे अब पत्थर से रेत बनाने के उत्खनन पट्टे भी स्वीकृत हो सकेंगे।गोण खनिज रहे बजरी की रायल्टी दर 125 रुपये प्रति घन मीटर निर्धारित की गई। यह भी प्रावधान किया गया है कि बाहर के राज्यों से परिवहित होकर आने वाले गोण खनिज पर 25 रुपये प्रति घन मीटर की दर से विनियमन शुल्क लिया जायेगा। फर्शी पत्थर निविदाकार को देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत ई-निविदा दर से वन टाइम बिट के आधार पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। संचालक शासकीय भूमि पर तथा शासकीय एवं निजी भूमि के संयुक्त क्षेत्र पर



अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। इसमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में एवं अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होंगे। साथ ही एक महिला सदस्य को भी नियुक्त किया जायेगा।

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसमें अनुसूची 5 के 31 गौण खनिजों के उत्खनन पट्टा आवेदन/ई निविदा से आवंटन करने के प्रावधान किये गये हैं। संशोधन अनुसार निजी भूमि पर भूमि-

स्वामी/ सहमति धारक को रायल्टी के अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भुगतान की शर्त पर 30 वर्ष की अवधि के लिये आवेदन के आधार पर उत्खनन पट्टा स्वीकृत करने के प्रावधान किये गये हैं। संचालक उत्खनन पट्टा विभागीय मंत्री के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत कर सकेंगे। शासकीय व निजी भूमि पर 250 हेक्टेयर क्षेत्र पर ई-निविदा के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिये अनुसूची 5 के उत्खनन पट्टा आवंटन करने के प्रावधान किये गये हैं। उच्चतम निविदाकार को देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत ई-निविदा दर से वन टाइम बिट के आधार पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। संचालक शासकीय भूमि पर तथा शासकीय एवं निजी भूमि के संयुक्त क्षेत्र पर

■ सिवनी । (नव प्रदेश)
सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों के
यूनिक आईडि दिखाए पर किए गए
50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन
अधुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी
क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन
अधिकारी को निर्देशित किया गया।
कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के
राजपथ पर 24 नवम्बर 2016 को
किये गये प्रावधान के तहत समस्त
प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार

साक्ष्य जुटाए तो पूरी घटना सामने आई। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त में ले ले पुनः जांच में अभी तक गिरफ्तारी करने का सुविधि नहीं की है। वहीं बातया जालतब करने गरीब किसान से मारपीत करने वाले किसान दबंग किसान धनराज-हजोने गरीब किसान के खेत से पियारा उठाने की छेटी सी गलत की सजा जान गंगा कर चुका मयडो। तेजगढ़ थाना प्रभार विकास चौहान ने बताया है कि घटना रविवर की शाम 7 बजे के करीब की है हत्या के आरोपियों को को शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गया है। आदेश के विरुद्ध राज्य शासन/सचिव गृह विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं मंत्रणा बोर्ड उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष स्वयं उपस्थित होने का अधिकार होगा।

